दतिया विधानसभा उपचुनाव

दतिया के भाग्य का फैसला आज

चुनाव प्रचार का शोर थमा

नव भारत न्यूज

दतिया, 29 जुलाई. मध्यप्रदेश की हाईप्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसभाओं, रैलियों और लाउडस्पीकरों का शोर अब थम गया है.

चुनाव प्रचार का अंतिम समय पूरा होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब चुनावी रणभूमि का मिजाज पूरी तरह बदल गया है और प्रत्याशी डोर-टू-डोर (घर-घर) जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं.

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की तारीख 30 जुलाई को मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना व परिणाम 3 अगस्त को आयेगें।

प्रचार का शोर थमते ही सभी प्रमुख दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति बदल ली है. बड़े मंचों और रैलियों की जगह अब व्यक्तिगत संवाद ने ले ली है. प्रत्याशी और उनके नजदीकी समर्थक देर रात तक मोहल्लों, कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों में घर-घर पहुंचकर अपने पक्ष में वोट की अपील करने की योजना बना रहे हैं. इस 'साइलेंट पीरियड' (मौन अवधि) में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की अंतिम कोशिशें की जाएगी. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण एवं अवैध बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और धारा 144 लागू

चुनाव आयोग और स्थानीय पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. दतिया की सीमा से लगे अन्य जिलों और राज्यों के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें या आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे 30 जुलाई को बिना किसी भय और दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें.

उपचुनाव के मद्देनजर शराब दुकानें रहेंगी बंद

ग्वालियर. दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने अहम आदेश जारी किया है. जिसके तहत दतिया विधानसभा क्षेत्र से लगे ग्वालियर जिले के तीन किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित सभी शराब दुकानों एवं अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र में 28 जुलाई को शाम 6 बजे से 30 जुलाई को मतदान समाप्त होने तक सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी. इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है.

ईवीएम में कैद होगा भावी नेता का भाग्य

मतगणना व परिणाम 3 अगस्त को

■ प्रशासन मुस्तैद : सुरक्षा के कड़े इंतजाम

स्थानीय निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवेदनशील बूथों पर पैनी नज़र: सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती के साथ-साथ वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। सभी मतदान दलों को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। दिव्यांग एवं बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था: व्हीलचेयर, पेयजल और छाया की विशेष व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो।

■ साइलेंट वोटर और चुनावी समीकरण

नेताओं के दावों और तूफानी चुनाव प्रचार के बीच इस बार 'मतदाता की खामोशी' ने दोनों प्रमुख दलों (भाजपा और कांग्रेस) की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दतिया का आम नागरिक मुद्दों पर अपनी राय तो रख रहा है, लेकिन अपना रुख स्पष्ट करने से बच रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है: भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। विकास कार्य, स्थानीय जनसमस्याएं और अंदरूनी राजनीतिक जोड़-तोड़ इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

■ मतगणना के दिन होगा असली खुलासा

आज शाम ईवीएम सील होने के बाद उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सुरक्षा घेरे में बंद हो जाएगा। कौन सा प्रत्याशी दतिया की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहा और मतदाता की इस खामोशी का असली संदेश क्या था, इसका खुलासा 3 अगस्त (मतगणना दिवस) मतगणना वाले दिन ही होगा।

निर्भीक होकर करें मतदान : खंडेलवाल

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 29 जुलाई. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है.

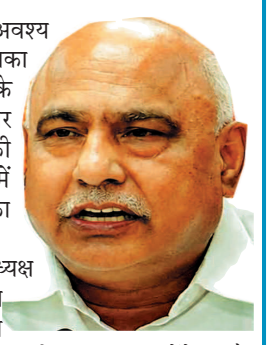

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व उत्साह, शांति और सौहार्द के मनाकर मध्यप्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त और शांतिपूर्ण मतदान की गौरवशाली परंपरा निभाने में सदैव अग्रणी रखना है. पूर्ण विश्वास है कि दतिया विधानसभा क्षेत्र के भाई-बहन, माताएं, युवा, वरिष्ठजन एवं नवमतदाता पूरे उत्साह, जागरूकता व जिम्मेदारी के साथ मतदान कर लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करेंगे. खण्डेलवाल ने कहा कि यह मतदान केवल हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है. इसलिए प्रत्येक मतदाता बिना किसी लोभ, लालच, भय और दबाव के निर्धारित समय पर अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करे. आपका प्रत्येक वोट दतिया के विकास, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में बड़ी संख्या में नवमतदाता पहली बार मतदान करेंगे. उनके लिए यह लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बनने का ऐतिहासिक अवसर है. लोकतंत्र की मजबूती तभी सुनिश्चित होगी, जब प्रत्येक नागरिक अपने मत का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करेगा. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना मप्र की पहचान रही है.

रामनवमी हिंसा प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपी बरी

खरगोन. शहर में एक अदालत ने वर्ष 2022 के रामनवमी हिंसा प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में 11 आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 27 जुलाई को सुनाए निर्णय में इबादत अली, सादिक खान, अब्दुल्ला खान, साहब उर्फ शाहिब, शेर यार, फैसल खान, आजम खान, शब्बीर खान, इमरान अली, मुश्ताक अली सहित अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.

पटवारियों ने ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार

भिण्ड. जिले में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है. जिला स्तरीय बैठक में पटवारियों ने 28 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है. इस अवधि में सारा सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कार्य नहीं किए जाएंगे. लहार में आयोजित बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि शासन के समक्ष लंबे समय से पटवारियों की पांच न्यायोचित मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं किया गया है. इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है.

बैठक में उपस्थित सभी पटवारियों ने संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का संकल्प लिया.

संघ के जिला अध्यक्ष विनायक सिंह तोमर ने कहा कि यदि 2 अगस्त तक शासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 3 अगस्त से जिले के सभी पटवारी संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की. संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि पटवारियों की एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा.

एफआईआर रद्द होने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुआवजा अमान्य : हाईकोर्ट

ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला

नव भारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जुलाई. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को न्यायालय पहले ही निरस्त कर चुका है, तो पीड़ित या उसके परिजन सरकारी वित्तीय सहायता अथवा मुआवजे के हकदार नहीं रह जाते.

जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने मुन्ना बाबू शाक्य की 8.50 लाख रुपये के मुआवजे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब मूल आपराधिक मामला ही समाप्त हो चुका है, तब मुआवजे का कानूनी आधार भी समाप्त हो जाता है. यह मामला राकेश शाक्य की आत्महत्या से जुड़ा था, जिसमें पत्नी के कथित अवैध संबंधों और प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 306, 34 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(1) के तहत मामला दर्ज किया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्यवाही यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि जातिगत दुर्भावना अथवा एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध का प्रथमदृष्टया कोई आधार नहीं बनता. अपने ताजा आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी नियमों के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य पीड़ितों का पुनर्वास है, लेकिन यह तभी संभव है जब अधिनियम के तहत अपराध का अस्तित्व या प्रथमदृष्टया आधार बना रहे.

बहियाटिकूर में मिला बाघ का शव, उठे सवाल

- घटना के बाद वन्यजीवों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह
- बाघ की मृत्यु पर जांच के बाद होगा वास्तविक खुलासा

नव भारत न्यूज

बालाघाट, 29 जुलाई. दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट परिक्षेत्र लालबर्रा अंतर्गत बोरी ग्राम के पोटूटोला क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

फिलहाल बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. वन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक जांच की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे है.

एक ओर जहां प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा. है वहीं दूसरी तरफ टाईगर स्टेट का गौरव प्राप्त प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा वन परिक्षेत्र कान्हा टू पेंच कारीडोर घोषित क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ का शव मिलना वन विभाग की लापरवाही की ओर इशारा करता है

बहरहाल किन परिस्थितियों में बाघ की मौत हुई वन विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
peoplehome

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीएसटी रोड, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098
सीआईएन: U65922MH2016PLC273826

सार्वजनिक सूचना - सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 'शाखा कार्यालय - नीमच' का स्थानांतरण

सामान्य जनता और ग्राहकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की नीमच शाखा,** जो वर्तमान में **प्रथम तल, भगवती प्लाजा, फिरोज शाह पेट्रोल पंप के पास, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, दशहरा मैदान के सामने, नीमच - 458441, मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है, उसे 1 नवंबर, 2026 से प्रथम तल, शहीद हेमू कलानी चौराहा, जीवाजी राव छात्रावास मार्ग, नीमच - 458441, मध्य प्रदेश** में स्थानांतरित/परिवर्तित किया जाएगा.

स्थान : मध्य प्रदेश | **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 30.07.2026 | **कृते सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
peoplehome

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 301, तीसरी मंजिल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सीएसटी रोड, बीपीसीएल पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098
सीआईएन: U65922MH2016PLC273826

सामान हटाने की सूचना

सेवा में, **दिनांक : 28-07-2026**
कमल कमल (उधारकर्ता)
गुल्पा बंजारा (सह-उधारकर्ता)
संपत्ति संख्या: पीएच नं. 41, क्षेत्रफल: 900 वर्ग फीट, ग्राम- जूना मलाहेड़ा, तहसील- मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश.

प्रिय महोदय/महोदया,

यह पत्र औपचारिक रूप से आपके स्वामित्व वाली सभी वस्तुओं और व्यक्तिगत संपत्ति को उस अचल संपत्ति से हटाने की मांग करता है जो कि निम्नलिखित स्थान पर स्थित है: 'इन द राइट्स, पीस एंड पार्सल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेरिंग' पीएच नं. 41, क्षेत्रफल: 900 वर्ग फीट, ग्राम- जूना मलाहेड़ा, तहसील- मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश. **सीमाएं : पूर्व :-** आम रास्ता, **पश्चिम :-** जगदीश जी का घर, **उत्तर :-** रतनलाल का घर, **दक्षिण :-** भूरलाल का घर.

जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में उल्लिखित संपत्ति का कब्जा ऋण कोड **UDRNM23014252** के तहत शुरू की गई सरफेसी (SARFAESI) कार्यवाही के अनुसार दिनांक **20-01-2026** को पारित जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत **20 जुलाई 2026** को कानूनी रूप से ले लिया गया था. कब्जा लेने के समय, आपके व्यक्तिगत सामान की कई वस्तुएं परिसर में रह गई थीं. इसके साथ इन्वेंट्री पंचनामा (सामान की सूची) संलग्न किया गया है.

आपको इसके द्वारा इस नोटिस की तारीख से अगले 15 दिनों के भीतर परिसर से अपने सभी व्यक्तिगत सामान और वस्तुएं हटाने की आवश्यकता है. अपने सामान को हटाने के लिए संपत्ति तक पहुंच (एक्सेस) की व्यवस्था करने हेतु कृपया अधिकृत अधिकारी **श्री बृजेश शुक्ला (9451139900)** से संपर्क करें. संपत्ति के कब्जे से सामान हटाते समय आपको पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और एक रिलीज फॉर्म (मुक्ति पत्र) पर हस्ताक्षर करने होंगे.

कृपया सुनिश्चित करें कि सभी सामान **17 अगस्त 2026** तक हटा लिया जाए. यदि आप निर्दिष्ट समय सीमा तक अपना सामान हटाने में विफल रहते हैं, तो इस तिथि के बाद, किसी भी बचे हुए सामान को लावारिस (छोड़ा हुआ) माना जाएगा और आपको बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, नए मालिक की मर्जी के अनुसार निपटाया या उन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है. कृपया ध्यान दें कि आप अपने सामान को हटाने से जुड़े सभी खर्च खुद वहन करेंगे. ऊपर उल्लिखित समय सीमा तक परिसर से सामान हटाने में विफल रहने की स्थिति में, हटाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान और/या सामान के निपटान और/या नए मालिक को हस्तांतरित होने पर CHFL किसी भी दायित्व या जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है.

इस मामले पर आपके त्वरित ध्यान देने के लिए धन्यवाद.

भवदीय
सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कोदो -कटंगी गुड़ को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे

सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेंट किए स्थानीय उत्पाद

नव भारत न्यूज

बालाघाट, 29 जुलाई. बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर जिले की जैविक कृषि विरासत को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास किया.

इस दौरान उन्होंने बालाघाट का प्रसिद्ध जैविक कोदो (श्रीअन्न) और कटंगी का जैविक गुड़ भेंट किया. सांसद ने कहा कि ये उत्पाद जिले की समृद्ध कृषि परंपरा, जैविक खेती और किसानों की मेहनत का प्रतीक हैं.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने के बाद कोदो जैसे मोटे अनाजों की मांग लगातार बढ़ी है. बालाघाट के आदिवासी अंचलों में परंपरागत रूप से उगाया जाने वाला कोदो पोषण, स्वास्थ्य और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वहीं कटंगी का जैविक गुड़ अपनी शुद्धता और पारंपरिक निर्माण विधि के कारण पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुका है.

4 देशी कट्टा और 2 कारतूस के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

जबलपुर, 29 जुलाई. सिहोरा पुलिस ने सिलौड़ी रोड पर घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को दबोचा है, जिसके कब्जे से 4 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं. अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का नेटवर्क ज्वालामुखी तक जुड़ा हुआ है. पुलिस अब मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है.

थाना प्रभारी सिहोरा, प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि हड़हा मोहल्ला निवासी भानू तिवारी नाम का युवक मामे दा ढाबा के पीछे किसी अज्ञात खरीदार को देशी कट्टे की डिलीवरी देने की बात कर रहा था. इस इनपुट पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने मामे दा ढाबा के आगे, मुरूम खदान के पास सिलौड़ी रोड पर दबिश दी. तभी . पुलिस की गाड़ियों को देखते ही भागने का प्रयास कर रहे भानू तिवारी (29), निवासी वार्ड नंबर 1, हड़हा मोहल्ला, सिहोरा को चारों तरफ से घेराबंदी कर दबोच लिया गया. पुलिस ने जब वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसके हाथ में मौजूद कत्थाई थैले की तलाशी ली, तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. थैले के अंदर कागजों में लपेटकर रखे गए 4 अवैध देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने हथियारों को तुरंत जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया. आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

स्वयं चौबे ने बाजार में बेचने के लिए सप्लाई किए थे हथियार- आरोपी भानू तिवारी से जब हथियारों के स्रोत को लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया. आरोपी ने कुबूल किया कि ये सभी देशी कट्टे और कारतूस उसे ज्वालामुखी निवासी स्वयं चौबे ने बाजार में बेचने के लिए सप्लाई किए थे. इस खुलासे के बाद सिहोरा पुलिस ने मुख्य आरोपी स्वयं चौबे की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया है. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है.

कार में छिपाकर अवैध पिस्टल ले जाते धराए

इंदौर. अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चार देशी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, कार और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. आरोपी हथियारों को शहर में सप्लाई करने की फिराक में थे. क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रीजनल पार्क रोड स्थित वृंदावन गार्डन के सामने एक कार में दो संदिग्ध अवैध हथियार लेकर बैठे हैं. तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड में छिपाकर रखी चार देशी पिस्टल, मैगजीन और चार जिंदा कारतूस मिले. पुलिस ने हथियारों के साथ कार और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जब्त सामान की कुल कीमत करीब छह लाख रुपए बताई गई है.

मासूम से दुष्कर्म का आरोपी निगरानी में

ग्वालियर. गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में सोमवार तड़के एक 5 साल की मासूम के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग को निगरानी में लिया है। पीड़िता का परिवार मूल रूप से अटेर, भिंड का रहने वाला है और वर्तमान में नारायण विहार में किराए के कमरे में रहता है। इसी दौरान मकान मालिक का 14 वर्षीय नाबालिग बेटा कमरे में आ गया और वारदात को अंजाम दिया। मां की नींद खुलने पर उसने आरोपी को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना प्रभारी गोला का मंदिर धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार श्रीमती अनीता जैन पत्नी प्रद्युमन जैन निवासी सुधा भवन, माचिस ब्रांच के पास, सूबेदार वार्ड सागर, संपत्ति ग्राम निपानिया, 'आशीर्वाद विला' का भूखंड (रो-हाउस) क्रमांक 02, कुल क्षेत्रफल 1050 वर्गफुट अर्थात् 97.53 वर्गमीटर तह. व जिला इंदौर है, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2024 ई. पंजीयनं नम्बर एम.पी. 179142024ए1488143 के माध्यम से प्राप्त किया था, जो कि विक्रेता श्री कृष्णपाल सिंह वल्द ध्रुवसिंह जी परमार एवं श्रीमती समिता पति श्री कृपाल सिंह जी परमार से क्रेता श्रीमती करुणेश पति डॉ. उमेश माईवाल, डॉ. उमेश माईवाल पिता श्री हरीशचंद्र जी ने विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2009 पुस्तक नं. ए-1, वाल्यूम नं. 876, पेज नं. 15 से 21, सीरियल नं 426 के माध्यम से क्रय की थी, वह लिंक डीड गुम हो गयी है. मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.04.2024 की सम्पत्ति को बंधक रखकर, ICICI Bank Branch. Sagar से ऋण लिया जा रहा है, जिसमें लिंक डीड की मूल प्रति रखा जाना अति आवश्यक है. यदि किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय को मेरे पक्षकार द्वारा ICICI Bank Branch Sagar से ऋण लेने में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह प्रकाशन के दो दिवस के अंदर मेरे कार्यालय, जो कि 5/18, स्नेह नगर कॉलोनी शिवाजी वार्ड गोपालगंज तह. व जिला सागर (म.प्र.) है, में उपस्थित होकर आपत्ति से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें, दो दिवस की अवधि के पश्चात आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.

जलज सोनी
एडव्होकेट सिविल कोर्ट सागर
(म.प्र.) मो. नं. 9407542513

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 'चोला क्रेस्ट', सी-54 और 55, सुपर बी-4, थिरु.वि.का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुंडई, चेन्नई-600032

कब्जा सूचना (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए))

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.07.2025 को एक मांग सूचना जारी की थी (ऋण खाता संख्या TL01IND00000035537 और TL01IND00000059379) जिसमें उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं (1. मेसर्स अंबिका फोटोकॉपी एंड एसटीडी, 2. मेसर्स अंबिका नमकीन एजेंसीज, 3. श्री संजय नामदेव और 4. श्रीमती सोनल नामदेव) से उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, ऋण खाता संख्या TL01IND00000035537 के तहत रु. 77,80,855/- और ऋण खाता संख्या TL01IND00000059379 के तहत रु. 36,63,601/-, जो कुल मिलाकर 10.07.2025 तक कुल राशि रु. 1,14,44,456/- (रु. एक करोड़ चौदह लाख चवालीस हजार चार सौ छप्पन मात्र) होती है, उसके बाद के आगे के ब्याज और खर्चों सहित, चुकाने का आह्वान किया गया था.

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः एतद् द्वारा उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी द्वारा केस नंबर MJCR/199/2026 में पारित आदेश दिनांक 01/07/2026 और तहसीलदार के माध्यम से, जिसमें उक्त तहसीलदार ने भौतिक कब्जा 24.07.2026 को बड़वानी में और 28.07.2026 को अंजड़ में अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है, इसके आलोक में यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है. विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है. विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पास ऋण खाता संख्या TL01IND00000035537 के लिए रु. 77,80,855/- और ऋण खाता संख्या TL01IND00000059379 के लिए रु. 36,63,601/- की राशि, जो 10.07.2025 तक कुल राशि रु. 1,14,44,456/- और उस पर लगने वाले ब्याज के भार के अधीन होगा.

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति संख्या 01 : मकान का वह सारा हिस्सा और पार्सल, प्लॉट नंबर 22 के साथ, शिवधाम कॉलोनी, जो लैंड सर्वे नंबर 266/4 और 266/7 पर स्थित है, दिलावर भांगर के पीछे, वार्ड नंबर 8, पी.एच. नंबर 02, ग्राम-अंजड़, तहसील-अंजड़, जिला-बड़वानी (म.प्र.). कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (92.93 वर्ग मीटर) और उस पर किया गया निर्माण. सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्व: प्लॉट नंबर 21, पश्चिम: प्लॉट नंबर 23, उत्तर: कॉलोनी मुख्य मार्ग, दक्षिण: शिवजी आत्मज रणछोड़ पटेल की भूमि.

संपत्ति संख्या 02 : मकान का वह सारा हिस्सा और पार्सल, प्लॉट नंबर 58 के साथ, जो दर्जी मोहल्ला (बड़वानी नगर निगम ब्लॉक/मकान नंबर 68/8-A के अनुसार), वार्ड नंबर 02, तहसील व जिला बड़वानी (म.प्र.) में स्थित है. कुल प्लॉट क्षेत्र 905 वर्ग फीट (84.10 वर्ग मीटर) और उस पर किया गया निर्माण. सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्व: ग्रीन होटल, पश्चिम: गली, उत्तर: भेरूलाल का मकान, दक्षिण: सुखनंद का मकान.

दिनांक : 24.07.2026 और 28.07.2026
स्थान : बड़वानी

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कार्रवाई | **बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के चला रहे थे मेडिकल स्टोर**

भिण्ड में नौ मेडिकल स्टोर्स को किया निलंबित

नव भारत न्यूज

भिण्ड, 29 जुलाई. जिले में औषधि प्रशासन विभाग ने अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नौ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर उनके दवा क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है.

औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने भिण्ड और फूप क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान फूप स्थित विकास मेडिकल एजेंसी, महावीर मेडिकल स्टोर, गोविंद मेडिकल स्टोर, अशोक मेडिकल स्टोर, अभई मेडिकल स्टोर, जैन मेडिकल स्टोर सहित अन्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, फार्मासिस्ट की उपलब्धता और दवाओं के अभिलेखों की जांच की गई.

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों